MACT No. 05/2026
AW-01

Witness No––01––for –**आवेदिका क्रमांक 01 स्वयं** ––––Deposition taken on **06/08/2026** day of **––गुरुवार**––Witness's apparent age . 43 y. States on affirmation –**शपथपूर्वक**–my name is **– .श्रीमती रेखा कंवर– –** W/ of **– कृष्णा कंवर –––––** occupation **–––मजदूरी– – – –** address–**ग्राम भोथली, थाना व तह. कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)**

.....

नोट– उक्त साक्षी के द्वारा आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शपथपत्र मुख्य परीक्षण कथन दिनांक 02.07.2026 को प्रस्तुत किया गया है। आज दिनांक 06.08.2026 को साक्षी को शपथ दिलायी जाकर दस्तावेजों को प्रदर्शित करने हेतु उसका आगे मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया।

साक्ष्य प्रारंभ समय 03:35 पी.एम.

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री ओ.पी. चंद्राकर अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण

06– मैंने अपने आवेदन के समर्थन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद के दांडिक प्रकरण क्रमांक 2609/2025 शासन विरूद्ध खुमेश धीवर के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किया है जिसमें अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए–1, डीकेएस अस्पताल द्वारा थाना गोल बाजार को दी गई मृत्यु की सूचना प्र.ए–2, अकाल मृत्यु की सूचना पंजी प्र.ए–3, मर्ग इंटीमेशन प्र.ए–4, अपराध विवरण प्र.ए–5, नक्शा पंचायतनामा प्र.ए–6, शव सुपुर्दनामा प्र.ए–7, शव परीक्षण आवेदन एवं प्रतिवेदन प्र.ए–8, संपत्ति जप्तीपत्रक प्र.ए–9, गिरफ्तारी पत्रक प्र.ए–10, सुपुर्दगी आदेश प्र.ए–11 है । इसके अलावा मैंने अपना

आधारकार्ड की छायाप्रति पेश किया हूं । हमें आवेदन पत्र अनुसार क्षतिपूर्ति राशि अनावेदकगण से दिलायी जाये।

अनावेदक क्र. 01 एवं 02 पूर्व से एकपक्षीय ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस.के. रंगारी अधिवक्ता अनावेदक क्र. 03

07– मैं कक्षा सातवी तक पढ़ी हूं । आवेदक क्र. 02 मेरे पति है एवं आवेदिका क्र. 03 मेरी सास है । मैं एवं मेरे पति मजदूरी का कार्य करते है तथा वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं । देवेन्द्र कंवर मेरा पुत्र था जिसकी दिनांक 14.09.2025 को हुए दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हो गई है ।

08– यह कहना सही है कि मैं घटना होते हुए नहीं देखी हूं । दुर्घटना दिनांक को मेरे पुत्र भारतमाला सड़क किनारे में पौधा लगाने के लिए गये थे । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना दिनांक को देवेन्द्र कंवर किस गांव के पास पौधा लगाने के लिए गया था । घटना के समय हमारे गांव से बहुत से लोग भारतमाला सड़क किनारे पौधा लगाने के लिए जाते थे तथा वर्तमान में अन्य लोग जाते हैं ।

09– घटना दोपहर 01.30 बजे की है तथा दुर्घटना की सूचना हम लोगों को दोहपर 2–2.30 बजे प्राप्त हुई तथा जिसके पश्चात मेरे पति घटनास्थल के पास गये, मैं घर में थी । घटना के पश्चात मेरे पुत्र को ईलाज के लिए शासकीय अस्पताल कुरुद लाये थे उस समय वह मेरे से थोड़ा बातचीत किया था, उसके पश्चात वह बात नहीं कर सका तथा शासकीय अस्पताल कुरुद के चिकित्सकों द्वारा रिफर किये जाने के पश्चात देवेन्द्र कंवर को डीकेएस अस्पताल रायपुर में ले जाकर भर्ती किये थे तथा दुर्घटना दिनांक की रात्रि लगभग 10 बजे उसकी मृत्यु हो गई थी ।

10– घटना के समय मेरे पुत्र देवेन्द्र के अलावा लगभग 05–06 व्यक्ति पीकप वाहन में सवार होकर भोजन के लिए आ रहे थे तथा वे लोग जब जोरातराई के पास पहुंचे थे, उसी समय अनावेदक क्र. 01 के द्वारा अपने वाहन को काफी तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चालकर पीकप वाहन को पल्टी कर दिया जिससे मेरे पुत्र को गंभीर शारीरिक चोटें आयी है जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई ।

11– यह कहना सही है कि देवेन्द्र कंवर को ही देवेन्द्र दीवान कहते थे । यह कहना सही है कि मैंने अपने आवेदन एवं शपथपत्रीय कथन में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि देवेन्द्र दीवान एवं देवेन्द्र कंवर दोनों एक ही व्यक्ति है तथा इस संबंध में हमारे द्वारा कोई शपथपत्र भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि उक्त दुर्घटना पीकप वाहन के चालक की लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के कारण घटित हुई है ।

12– यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय मेरे पुत्र गांव के अन्य लगभग 05–06 व्यक्तियों के साथ पीकप के डाला में बैठे थे । यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय मेरा पुत्र जिस वाहन में सवार था वह मालवाहक यान है । यह कहना सही है कि दुर्घटना कारित वाहन सवारी वाहन नहीं है ।

13– यह कहना सही है कि दुर्घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा दर्ज नहीं करायी गई है । स्वतः कथन है कि घटना की रिपोर्ट कृष्ण कुमार कुर्रे के द्वारा दर्ज करायी गई है । यह कहना सही है कि दिनांक 14.09.2025 को हुए दुर्घटना की रिपोर्ट थाना कुरुद में दिनांक 16.11.2025 को दर्ज करायी गई है ।

14– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि दुर्घटना दिनांक को मेरा पुत्र पीकप वाहन से उतरते समय अचानक उसका पैर फिसल जाने के कारण नीचे जमीन में गिर जाने उसे चोटें आई है और उसकी मृत्यु हुई है । यह कहना सही है कि मैंने क्षतिपूर्ति दावा के समर्थन में प्रपी 01 से 11 तक पेश की हूं । यह कहना सही है कि शव परीक्षण के लिए प्रेषित आवेदन प्रपी 08 के पेज नंबर 02 में अ से अ भाग पर "दिनांक 14.09.2025 को ..... मृत्यु हो गया है । "

15– मेरा पुत्र दुर्घटना के एक वर्ष पूर्व से भारतमाला परियोजना में काम करने के लिए जाता था । यह कहना सही है कि मैंने अपने पुत्र के आय, आयु एवं कार्य बाबत कोई भी दस्तावेज पेश नहीं की हूं । यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय मेरा पुत्र अविवाहित था । दुर्घटना के पूर्व मेरे एक पुत्र एवं पुत्री थे तथा वर्तमान में मेरे पुत्र देवेन्द्र कंवर की मृत्यु होने के पश्चात मेरी एक संतान पुत्री नम्रता है जिसका विवाह होकर वह अपने ससुराल में निवासरत है।

16– यह कहना गलत है कि मेरा पुत्र कोई कार्य नहीं करता था । यह कहना सही है कि हमारे परिवार का गरीबी रेखा का राशन कार्ड है जिसमें शासन के नियमानुसार राशन मिलता है । यह कहना सही है कि मृतक एवं आवेदिकागण मेरे परिवार सदस्य है इसके संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं की हूं । यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय मेरा पुत्र कोई कार्य करता नहीं करता था एवं अत्यधिक क्षतिपूर्ति पाने के लालच में मृतक को भारतमाला सड़क परियोजना में कार्य करने का कथन करते हुए आवेदन पेश किया है ।

17– यह कहना गलत है कि उक्त दुर्घटना दिनांक को मेरा पुत्र घर में था तथा स्वयं घर में गिरने के कारण उसे चोटे आई है एवं हम लोगों के द्वारा अनावेदक क्र. 01 के विरुद्ध थाना कुरुद में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर आवेदन पेश किया गया है ।

साक्ष्य समाप्ति समय 04:15 PM

साक्षी को उसका कथन पढ़कर सुनाया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
उसने सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(राधेश्याम ध्रुव)
अति. मोटर दुर्घटना दावा अधि.
धमतरी के अति. अधि. कुरूद
जिला–धमतरी (छ.ग.)

सही/–
(राधेश्याम ध्रुव)
अति. मोटर दुर्घटना दावा अधि.
धमतरी के अति. अधि. कुरूद
जिला–धमतरी (छ.ग.)

गवाह का हस्ताक्षर